भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 773

29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ट्रांसजेंडर समुदाय की स्वास्थ्य परिचर्या

773. श्री विजय कुमार हाँसदाक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक पहुंच में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों की मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की कोई नीति/योजनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): भारत सरकार द्वारा एनएचएम के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय सहित सभी के लिए कार्यान्वित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में मौजूदा उप केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) में परिवर्तित करके संचालन, संविदा आधार पर स्वास्थ्य मानव संसाधन की नियुक्ति के लिए सहायता, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां, आशाकर्मी, अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, 24x7 सेवाएं और प्रथम रेफरल सुविधाएं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यान्वयन और संबंधित कार्यकलाप, लक्ष्य प्रमाणन, जैव चिकित्सा उपकरण अनुरक्षण और प्रबंधन कार्यक्रम, निशुल्क नैदानिक सेवा पहल और निशुल्क औषध सेवा पहल जैसी विभिन्न योजनाएं शामिल है। इसके अलावा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए मिशन परिवार विकास, किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक (एएफएचसी), साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड संपूरण (डब्ल्यूआईएफएस), मासिक धर्म स्वच्छता योजना, सुविधा केंद्र आधारित नवजात शिशु परिचर्या (एफबीएनसी), गृह आधारित नवजात परिचर्या कार्यक्रम, निमोनिया को सफलतापूर्वक निष्प्रभावी करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई (एसएएनएस), किशोरों के लिए गृह आधारित देखभाल (एचबीवाईसी), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके), प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास (ईसीडी), व्यापक गर्भपात देखभाल

(सीएसी), एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) रणनीति, पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) कार्यक्रम जैसी पहलों का समर्थन किया जाता है। व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री- जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसमें 12 करोड़ गरीब परिवारों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है।

एसईसीसी 2011 के तहत परिभाषित मानदंडों के अनुसार पात्र ट्रांसजेंडर सहित कोई भी व्यक्ति या गैर-एसईसीसी लाभार्थियों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित व्यक्ति योजना के तहत नि:शुल्क स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं के लिए पात्र है।

(ग) और (घ): सरकार देश भर में प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्तरों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समर्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रही है। देश में ट्रांसजेंडरों सहित सभी के लिए गुणवत्तायुक्त मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए "राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" (एनटीएमएचपी) आरंभ किया गया है।

*****